

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 229 /पटना दिनांक- 30.4.25

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-01/2019 के तहत ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवंटित किये गये कुल 759 अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 13 अभ्यर्थियों की चयन को लंबित रखा गया। उन 13 चयन लंबित अभ्यर्थियों में से 04 अभ्यर्थियों का अनुशंसा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से प्राप्त हुई है, जिसे विभागीय कार्यालय आदेश सं0-178 सहपठित ज्ञापांक-3796 दिनांक-03.04.2025 द्वारा नियुक्त किया गया है। बिहार अवर अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत निम्नांकित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा अगले आदेश तक के लिये बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0, पटना को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है:-

क्र0 सं0	कनीय अभियंता (असैनिक) का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार	अरवल	05.07.1971	441
2	श्री नील कमल गुप्ता	मुंगेर	01.07.1969	1696
3	श्री अजीत कुमार	गया	05.02.1994	5300
4	श्री कुणाल कुमार बसाक	किशनगंज	08.02.1996	10886

2. उपर्युक्त नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि कार्यालय आदेश सं0-178 सहपठित ज्ञापांक-3796 दिनांक-03.04.2025 में दिये गये निदेश के अनुपालन में निर्धारित समय-सीमा में सभी अभिलेखों के साथ अपने पदस्थापित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान के समय अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. संबंधित पदाधिकारी योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता, आवासीय, आरक्षण (यदि लागू हो तो) से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेंगे।

4. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में योगदान के समय विरमन आदेश/त्याग पत्र स्वीकृत्यादेश समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5. योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबधिक रूप से किया जाएगा।

6. संबंधित पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिये औपबधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है, तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि की निकासी तब तक नहीं की जाएगी, जब तक ग्रामीण कार्य विभाग से इनकी नियुक्ति-पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

7. प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति कोषागार में भेजी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्राधिकार के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति पत्र से कर लेंगे।

Office Order

Sh

अवधी

8. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नियुक्ति-पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ई-गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की प्रति से भी नियुक्ति-पत्र की सत्यता की जाँच कर लेंगे। इसकी प्रति विभागीय वेबसाइट <https://rwdbihar.gov.in> पर देखी जा सकती है।

9. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (PRAN No.) अवश्य रूप से खोल दिया जाय।

10. वैसे नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) जिनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।

12. वैसे नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) जिनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।

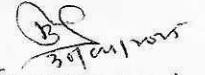
13. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. संबंधित कार्यालय योगदान करने वाले नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सूची ग्रामीण कार्य विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे।

15. सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अपने पदस्थापित कार्यालय में योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

16. उक्त पदस्थापन आदेश में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करते हुए अनुरोध करेंगे। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुये शुद्धि पत्र निर्गत की जाएगी।

17. पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्यवाही पर विभागीय कमिटी सहित अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।



(ई० भगवत राम)

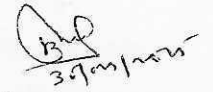
अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-4/अ०प्र०-1-12/2024 (पार्ट-II)

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पर्यटन-सह-अध्यक्ष, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



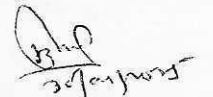
अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-4/अ०प्र०-1-12/2024 (पार्ट-II)

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

Office Order



ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 4768 /पटना, दिनांक- 30.4.25
प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 4768 /पटना, दिनांक- 30.4.25
प्रतिलिपि:-SPARROW कोषांग/मुख्यालय अन्तर्गत सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 4768 /पटना, दिनांक- 30.4.25
प्रतिलिपि:-संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 4768 /पटना, दिनांक- 30.4.25
प्रतिलिपि:-सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी एवं सम्बन्धित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 4768 /पटना, दिनांक- 30.4.25
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-12/2024 (पार्ट-II) 4768 /पटना, दिनांक- 30.4.25
प्रतिलिपि:-आईटी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।